बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक–05 / सह॰ साख (पैक्स)–70 / 19............

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक.......................................

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण योजना' अंतर्गत राज्य योजना से केन्द्रांश राशि 14,65,77,881/– (चौदह करोड़ पैसठ लाख सतहतर हजार आठ सौ इक्यासी) रुपये एवं राज्यांश राशि रु० 6,42,00,000/– (छः करोड़ बयालीस लाख) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के सम्बंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन सहकारी साख संरचनान्तर्गत पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के माध्यम से संचालित कार्यप्रणाली, व्यवसाय आदि में पारदर्शिता, एकरूपता वित्तीय अनुशासन बनाने एवं मानव संसाधन के कुशल प्रबंधन हेतु पैक्सों को कम्प्युटरीकृत करने के दृष्टिगत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–L–12013/2/2021–I&P दिनाक 30.06 2022 द्वारा लागू 'प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण योजना' को विभागीय संकल्प संख्या–9581 दिनांक–30.11.2022 द्वारा राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. वित्तीय वर्ष, 2024–25 में केन्द्र प्रायोजित योजना "प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण योजना" अन्तर्गत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. R–11016/40/2023-CTP दिनांक 16.01.2025 के आलोक में केन्द्रांश के रूप में राशि रु० 14,65,77,881/– (चौदह करोड़ पैसठ लाख सतहतर हजार आठ सौ इक्यासी) एवं राज्यांश राशि रु० 6,42,00,000/–(छः करोड़ बयालीस लाख) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

3. प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी नाबार्ड है। राज्य के ग्राम पंचायत के सह अंतक (Co-terminous) सभी पैक्स का चरणबद्ध रूप से वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक की अवधि में कम्प्युटरीकृत किया जायेगा। योजना अन्तर्गत पात्र पैक्सों का चयन एवं उक्त पैक्सों में कम्प्युटरीकरण हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु सचिव, सहकारिता विभाग की अध्यक्षता मे गठित राज्यस्तरीय अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति (SLMIC) सक्षम प्राधिकार होगा।

4 योजना के प्रावधानानुसार प्रति पैक्स लगभग 3.91 लाख रुपये व्यय निर्धारित है। उक्त व्यय अन्तर्गत हार्डवेयर, डिजिटाईजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम मद में प्रति पैक्स कुल 3,09,068.00 रु० कर्णांकित है, जिसका वहन 60:40 के अनुपात में क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया आयेगा। शेष राशि का वहन भारत सरकार एवं नाबार्ड द्वारा किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन अवधि में उपलब्ध बजट उपबंध एवं उदव्यय के अन्तर्गत यथा आवश्यकता राशि की निकासी कर केन्द्रांश मद में 149.40 करोड़ (एक सौ उन्नचास करोड़ चालीस लाख) रू० तथा राज्यांश मद में 99.60 करोड़ (निन्यानवें करोड साठ लाख) रु० अर्थात कुल रू० 249.00 करोड़ (दो सौ उन्नचास करोड़) का व्यय किया जायेग।।

5. उपर्युक्त वर्णित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. R–11016/40/2023-CTP दिनांक 16.01.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्रांश के प्रथम किस्त के रूप में 14,65,77,881/– (चौदह करोड़ पैंसठ लाख सतहत्तर हजार आठ सौ इक्यासी) मात्र की राशि विमुक्त की गई है। किन्तु वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त मद में उपबंधित राज्यांश की राशि रु० 6,42,00,000/–(छः करोड़ बयालीस लाख) मात्र है। अतः राज्यांश के रूप में सम्प्रति रु० 6,42,00,000/–(छः करोड़ बयालीस लाख) मात्र की राशि विमुक्त की जा रही है। तथा राज्यांश की शेष राशि तृतीय अनुपूरक के उपरांत विमुक्त की जा सकेगी।

6. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगे जो वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सख्या 7355 (वि०), दिनाक 05.10.07 के आलोक में उपलब्ध आवंटन से CFMS के माध्यम से उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी कर इसे एकमुश्त बिहार राज्य सहकारी बैंक लि. पटना का NEFT/RTGS/E-PAYMENT के द्वारा SNA खाता संख्या–000135008100001 खाता का नाम पैक्स कम्प्युटराइजेशन योजना, IFSC Code-YESB0BSCB01 (YESB zero BSCB zero one) को उपलब्ध कराया जाएगा। तत्पश्चात् बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना द्वारा निबंधक सहयोग समितियाँ–सह–स्टेट स्कीम मैनेजर, पैक्स कम्प्युटराइजेशन योजना के हस्ताक्षर से निर्गत विमुक्ति आदेश आलोक में भुगतान किया जायेगा।

7. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नलिखित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अन्य सहकारी समितियों को सहायता

(राशि रुपये में)

आयोजना व्यय (विस्तृत) बजट शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि
(क) मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता उपमुख्य शीर्ष–00 लघुशीर्ष–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता मांग संख्या–09 उपशीर्ष–0201–प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण विपत्र कोड–09–2425001080201 PFMS Code-4008 विस्तृत शीर्ष–20 अन्य प्रशासनिक व्यय, 52–मशीनें एवं उपस्कर इत्यादि वस्तुगत शीर्ष–01–मशीनें एवं उपस्कर इत्यादि	27,63,00,000	14,65,77,881/–
(ख) मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता उपमुख्य शीर्ष–०० लघुशीर्ष–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता मांग संख्या–09 उपशीर्ष–0301–प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण विपत्र कोड–09–2425001080301 PFMS Code-4008 विस्तृत शीर्ष–20 अन्य प्रशासनिक व्यय, 52–मशीने एवं उपस्कर इत्यादि वस्तुगत शीर्ष–01–मशीने एवं उपस्कर इत्यादि	6,42,00,000	6,42,00,000

8. योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार कम्प्युटरीकरण के मुख्य घटक Hardware, Comprehensive Enterprise Resource Planning (ERP)solution, PMU, Training, Handholding support, Maintainance आदि है। योजनान्तर्गत पूरे देश में कॉमन सॉफ्टवेयर (ERP) का उपयोग किया जाना है पात्र पैक्सों को कम्प्युटरीकृत करने के दृष्टिकोण से नाबार्ड द्वारा खुली निविदा के माध्यम से कन्द्रीय स्तर पर System Integrators (SIs) का चयन करते हुए केन्द्रीय स्तर पर का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें से राज्य स्तर पर SI का चयन किया जाना है। System Integrators (SIs) द्वारा हार्डवेयर की आपूर्ति, सॉफ्टवेयर में आंकड़ों की प्रविष्टि एवं माईग्रेशन, सॉफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन (customization) हेतु अनुशंसा, Support system आदि उपलब्ध कराया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय बिहार राज्य सहकारिता बैंक लि०, पटना से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989 / वि० (2) दिनाक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र / अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

11. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को होगा तथा स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. इस योजना में राशि की स्वीकृति एवं व्यय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका सख्या नि.बै. –02 / 84 / 2022–SEC6–RCS के पृष्ठ संख्या–28 / टि० पर रक्षित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–29.11.2022 की कार्यवाही के मद संख्या–12 में प्राप्त है।

13. इस स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–05 / सह० साख (पैक्स)–70 / 19 के पृष्ठ संख्या–51 / टि० पर दिनांक–11.02.2025 को प्राप्त है।

14. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–05 / सह० साख (पैक्स)–70 / 19 के पृष्ठ संख्या–51 / टि० पर दिनांक–11.02.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह० / –
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक–05 / सह० साख (पैक्स)–70 / 19 479 / पटना, दिनांक 13/02/2025

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2. माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली 110001.
3. सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, पटना / विपत्र लिपिक लेखा शाखा, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) / उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैंनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

13.02.2025

सरकार के अपर सचिव ।

13.02.2025